

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2018

No. 33/2018-Central Tax

G.S.R. 760(E).—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said persons may furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:—

TABLE

Sl. No.	Quarter for which details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	July - September, 2018	31 st October, 2018
2	October - December, 2018	31 st January, 2019
3	January - March, 2019	30 th April, 2019

3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the said Act, for the months of July, 2018 to March, 2019 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

[F. No. 349/58/2017-GST (Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY. S. L., Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2018

सं. 34/2018-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 761(अ).—आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उप-नियम (5) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि जुलाई, 2018 से मार्च, 2019 तक प्रत्येक मास के लिए विवरणी, उक्त नियम के **प्ररूप जीएसटीआर-3 बी** में ऐसे मास के उतरवर्ती मास के बीसवें दिन या उससे पूर्व सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी।

2. **प्ररूप जीएसटीआर-3 बी के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए कर संदाय:**—प्ररूप जीएसटीआर-3 बी में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम तारीख के अपश्चात्, जिसको उससे उक्त विवरणी को फाईल करने की अपेक्षा की जाती है, यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक रूप से रोकड़ खाता या इलेक्ट्रॉनिक उधार खाता के विकलन करते हुए जैसा कि प्रथम पैरा में विनिर्दिष्ट है, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर, व्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के संबंध में अपने दायित्व का निर्वहन करेगा।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी (पीटी.)]

डॉ. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव